कार्यालय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल

कमॉक/एफ –8/2005 /10–10 / / 937 भोपाल : दिनांक 20/4/06

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश ।

विषय :– अतिक्रमित वन भूमि से अतिक्रमण बेदखल करने बाबत ।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र कमॉक /एफ– 5/ 2005/ 10–10/ 18 दिनांक 7–2–06

संदर्भित पत्र के तारतम्य में तथा मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के कमॉक / एफ–5 / 27 / 10–3 /2002 दिनांक 6–3–06 तथा कमॉक एफ–5 / 27/ 2003 /10–3 दिनांक 28–3–06 (फोटो प्रति संलग्न है) के परिप्रेक्ष्य में वन क्षेत्रों से निम्न प्रकार के अतिक्रमण हटाये जाना हैं :–

1– वन भूमि पर नये अतिक्रमण नहीं होने दिये जावेगें यदि अतिक्रमण हेतु प्रयास किये जाते हैं तो उनको नियमानुसार विफल किया जावेगा ।

2– 24–10–1980 के बाद के समस्त अतिक्रमण, केवल उन विवादित प्रकरणों को छोड़कर जिनके आवेदन शासन के संदर्भित पत्रों व्दारा गठित कमेटी के समक्ष निर्णय हेतु लम्बित हो, हटाए जावेगें। विवादित प्रकरणों के आवेदनों पर समिति की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराई जाना ।

3– 24–10–1980 के पूर्व के अपात्र घोषित एवं छूट गये अतिक्रामकों को गठित जिला स्तरीय समिति के निर्णय उपरान्त ही , यदि वह अपात्र पाये जाते हैं तो उन्हें हटाया जावेगा।

4– वन भूमि पर 24–10–1980 के पूर्व राजस्व विभाग व्दारा दिये गये पट्टे को हटाने की कार्यवाही जिला स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार की जावेगी । परन्तु वर्ष 24–10–1980 के बाद के पट्टे वालों को हटाया जावेगा । उन्हें

खेती नहीं करने दी जावेगी । उनके पट्टे निरस्त करने की कार्यवाही राजस्व विभाग व्दारा की जा रही है ।

5– यदि कोई ऐसा अतिक्रमण है जो वन तथा राजस्व सीमा पर है और इसमे सीमा विवाद है तो ऐसे अतिक्रमण , वन तथा राजस्व के संयुक्त सीमांकन के उपरान्त ही यदि वन भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है, तो ही हटाया जावेगा। संयुक्त सीमांकन प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जावे।

कृपया उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे । किसी भी दशा में वन भूमि में कृषि की फसल की बुआई न हो इस बाबत ध्यान रखा जावे । अन्यथा संदर्भित पत्र में वर्णित कार्यवाही की जावेगी ।

संलग्न :उपरोक्तानुसार ।

7/4/2014

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश